राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 172 नवम्बर 2013

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

घरेलू नौकरों पर उनके नियोक्ताओं द्वारा होने वाले अत्याचारों की संख्या में भयावह वृद्धि ने उनके अधिकारों की रक्षा करने और असंगठित क्षेत्र को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अधिकांश घरेलू नौकर, जो समाज के निर्बल वर्गों से आते हैं, निजी घरों में जरूरी घरेलू कार्य करते हैं और उनकी एक बड़ी संख्या प्रवासी कामगारों की है। इन नौकरों को विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है जिसमें बिना आराम दिए उनसे बहुत अधिक कार्य घंटों में काम कराना, मजूरी का भुगतान न करना, जबरदस्ती बंद रखना, शारीरिक और यौन दुराचार करना, जबरदस्ती काम कराना और उनकी तस्करी शामिल है।

आमतौर पर घरेलू नौकर उनके विरुद्ध होने वाले अमानवीय व्यवहार का विरोध नहीं करते हैं अपितु वे इसे चुपचाप सहते हैं। कभी-कभार ऐसे अपराधों के केवल कुछ मामले ही प्रकाश में आते हैं। तीन वर्ष पहले राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'घरेलू नौकर कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010' का प्रारूप बनाया था जिसमें घरेलू नौकरों के प्रति शोषणपूर्ण व्यवहार बरतने की बात कही गई थी। तथापि यह विधेयक लटका पड़ा है और अभी इसे पारित होना है।

हाल में एक विधायक और उसकी पत्नी द्वारा एक घरेलू नौकरानी के साथ अत्यधिक बुरा व्यवहार करने और नृशंस बर्ताव करने की जो घटना हुई है, वह शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है और यह घरेलू नौकरों के मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का प्रमाण है।

चर्चा में — घरेलू कामगारों के अधिकार

जब तक घरेलू नौकरों को 'कामगार' और नियोक्ताओं के घरों को 'कार्यस्थल' मानकर घरेलू नौकरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उचित कानून नहीं बनाये जाते हैं, उनकी कार्यस्थिति में सुधार नहीं आएगा और उनका शोषण होता रहेगा। चूंकि घरेलू नौकर क्षेत्र-अविनियमित है, नियोक्ता अथवा प्लेसमेंट सेवाएं, जो विभिन्न घरों को नौकर देती हैं, कानून से छूट का लाभ उठाते रहेंगे। जब तक सरकार न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं करती है और कार्यघंटों को विनियमित नहीं करती है, आराम करने के लिए समय, साप्ताहिक अवकाश आदि नहीं देती है, नौकरों को इसी तरह का अमानवीय व्यवहार मिलता रहेगा और ज्यादती की घटनाएं होती रहेंगी। इसके अतिरिक्त, घरेलू नौकर बहुत बार मानव तस्करी के शिकार बन जाते हैं और बाद में शहर में घरेलू नौकरानी के रूप में बेच दी जाती हैं।

अमेरिका और इटली जैसे अनेक देशों में घरेलू कामगार अधिनियम बने हुए हैं, जो कामगारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिनकी राज्य मानव अधिकार कानून के अंतर्गत रक्षा की जाती है और जो जातीय और यौन उत्पीड़न से भी उनकी रक्षा करते हैं।

हमारी सरकार की भी यह निर्विवाद जिम्मेदारी है कि वह निर्धन, अशिक्षित और निर्बल महिलाओं को, जो अक्सर अपनी कम आय को बढ़ाने के लिए घरेलू नौकरानी बनती हैं, न्याय प्रदान करे। तथापि केवल कानून से ही मदद नहीं मिल सकती है; कामगारों को भी उनके अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनको उन्हें मिलने वाले बुरे व्यवहार और नृशंस बर्ताव का विरोध करना चाहिए।

पंजाब द्वारा बलात्कार की पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि

पंजाब सरकार ने हाल में बलात्कार और बलात्कार-एवं-हत्या के पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की है। बलात्कार के पीड़ितों को अधिकतम मुआवजा 3 लाख रुपये दिया जाएगा जबकि 4 लाख रुपये उन पीड़ितों के रिश्तेदारों को दिया जाएगा जिनकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है।

पहले, यह मुआवजा बलात्कार के पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपये और बलात्कार-एवं-हत्या के लिए 3 लाख रुपये था।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार मानव तस्करी, बाल-दुराचार और अपहरण के पीड़ितों को 50,000 रुपये, बाल-पीड़ितों को सामान्य नुकसान अथवा चोट के लिए 10,000 रुपये और महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास के लिए 20,000 रुपये भी देती है। ऐसिड हमले के पीड़ितों को चेहरा विकृत होने की स्थिति में 3 लाख रुपये और अन्य मामलों और चोटों में 50,000 रुपये दिए जाते हैं।

● महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बलात्कार, मानव तस्करी और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर विशेष कृतिक बल और विशेष अध्ययन विशेषज्ञ समिति द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर एक विशेष परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। सीमा बल के कार्मिकों के साथ एक

अध्यक्षा और सुश्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर

पारस्परिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें शामिल हैं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और बलात्कार और मानव तस्करी की पीड़ितों और इनसे बच गई महिलाओं की दशा। इस कार्यक्रम में सुश्री ममता शर्मा, सुश्री श्रीरूपा मित्र चौधरी और श्री कुमावत उपस्थिति हुए।

● गेल इंडिया लिमिटेड और आरोह फाउंडेशन दोनों ने मिल कर नई दिल्ली में 'महिला जागरूकता और सुरक्षा' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए वर्तमान और नए कानून और व्यवस्था के प्रावधानों के प्रति महिलाओं में जागरूकता पैदा करना और गरिमा प्रोजेक्ट के लाभार्थियों के लिए एक हेल्पलाईन आरम्भ करना था।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि हेल्पलाईन संख्या महिलाओं के लिए उपयोगी होगी

अध्यक्षा और अन्य हेल्पलाईन संख्या दिखाते हुए

क्योंकि कोई भी महिला विपत्ति में उनसे संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। उन्होंने महिलाओं से जोर देकर यह भी कहा कि वे अन्याय, उत्पीड़न और हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं और राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। श्रीमती ममता शर्मा और गेल की प्रथम महिला डॉ. चन्द्र त्रिपाठी ने गरिमा के लाभार्थियों के लिए हेल्पलाईन 1800-102-4373 की शुरूआत की।

● राजस्थान पुलिस अकादमी ने 'पुलिस की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी' पर जयपुर, कोटा और बूंदी में अलग-अलग एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भयावह वृद्धि और इसको रोकने के

जयपुर में अध्यक्षा का स्वागत किया जा रहा है (नीचे) कोटा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में

लिए क्या कार्यवाही की जा सकती हे, पर चर्चा करना था। लगभग 400 महिला पुलिस अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित हुई। सेमिनार को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने कहा कि भारत में मूल्यों और नैतिकता का क्रमिक रूप से पतन हो रहा है। समाज में चहुंमुखी विकास के लिए लड़कियों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। महिला पुलिस अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है और उन्हें समाज को सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

❖ हाल ही में विदर्भ के विभिन्न विभागों से 30 पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन गया। यह दौरा सूचना और जनसंपर्क, महाराष्ट्र सरकार के महानिदेशक द्वारा अयोजित किया गया था। यह प्रतिनिधिमंडल बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग गया और सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर से वार्ता की और महिला संबंधित मुद्दों और हिंसा और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों को निपटाने के लिए इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचना भी एकत्रित की। ● सदस्या प्रभावलकर 'आत्म विकास और संघर्ष प्रबंधन' पर कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल गई। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें जोर देकर कहा कि वे अपने कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें।

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर प्रतिनिधियों से परस्पर बात करते हुए

❖ सदस्या शमीना शफीक ने सीतापुर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। ● सदस्या लखनऊ में मानव अधिकारों पर जन सतर्कता समिति द्वारा आयोजित बंधुआ मजदूर पर राज्य स्तर पर सार्वजनिक सुनवाई में मुख्य अतिथि थीं। ● सदस्या विनोबा सेवा संस्थान, जो महिला सशक्तिकरण का कार्य करता है, द्वारा आयोजित महिला किसान सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी गई। ● श्रीमती शफीक ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं के समूह में भाषण दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को इस रक्तदान शिविर द्वारा स्वास्थ्य संबंधित शिविरों में उपस्थित होने का अनुरोध किया। ● सदस्या सीतापुर जिला गई और स्थानीय स्तर पर महिला आधारित हिंसा से निबटने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पर भाषण देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के साथ प्रारंभिक बैठक में उपस्थित हुई।

सदस्या शमीना शफीक जन-सुनवाई के दौरान

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च से तकनीकी समर्थन के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आयोजित 'भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण' में मुख्य अतिथि थी। मुख्य भाषण देते हुए सदस्या ने कहा कि कानून, अधिकार और पुलिसिंग जोकि प्रतिभागी होनी चाहिए न कि प्राधिकार-केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए, के प्रति दृष्टिकोण पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जागरूक करने का यह सही समय है। ● डॉ. वलीखन्ना इंस्टीट्यूट फॉर कॉनफ्लिट मैनेजमेंट एंड बीपीआर एण्ड डी द्वारा आयोजित 'भारत में महिला सुरक्षा में सुधार करना' पर कार्यशाला में मुख्य वक्ता थी। ● सदस्या सीआरईए, एक दिल्ली आधारित महिला मानव अधिकार संगठन, द्वारा आयोजित 'दक्षिण एशिया में बाल विवाह' पर रिपोर्ट के विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि भी थी। ● उन्होंने पंजाब और चंडीगढ़ जूडीशियल अकादमी द्वारा आयोजित 'महिलाओं का अधिकार मानव अधिकार : अलंकारिक कथन को वास्तविकता में बदलने में न्यायपालिका की भूमिका' पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।

डॉ. चारू वलीखन्ना (दाहिने) महिलाओं की सुरक्षा में सुधार पर कार्यशाला में

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच कार्यवाही

- राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया ने सामाजिक कार्यकर्त्री मानसी प्रधान के साथ मिलकर 'टीचर को आग लगाई, अधिकारी पर दोषारोपण' शीर्षक से विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच की। ऐसा बताया गया है कि ओडिशा के राजगड़ा जिले में एक स्कूल टीचर को आग लगा दी गई क्योंकि कथित तौर पर उसने स्कूल सब इंस्पेक्टर, जो पिछले दो महीनों से छिप रहा था, के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया था। उन्होंने बानपुर थाना, खुर्दा जिला, ओडिशा में '30 वर्षीय महिला का छः व्यक्तियों द्वारा बलात्कार और मोबाइल में फोटो उतारने' की मीडिया रिपोर्ट की जांच की।
- टीम ने बिंधनिमा गांव, कटक जिला, ओडिशा में '17 वर्ष की लड़की को चार दिन बंधक बनाकर रखा गया और कथित तौर पर छः व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया' शीर्षक से समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की। उन्होंने ओडिशा में 'बंदूक की नोंक पर महिला से बलात्कार किया गया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की भी जांच की।
- स्वतः संज्ञान में लेते हुए सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने 'जबरदस्ती शराब पिलाकर नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार' शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट की जांच की। यह घटना मुम्बई में गोरेगांव के निकट हुई।
- डॉ. चारु वलीखन्ना ने झारखंड में मानव तस्करी की घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच समिति की अध्यक्षता की। डॉ. वलीखन्ना ने पश्चिम बंगाल में मानव तस्करी की घटनाओं की जांच करने के लिए जांच समिति की भी अध्यक्षता की।

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग में एक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है। प्रकोष्ठ ऑन-लाइन अथवा डाक से पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेगा। यह पूर्वोत्तर राज्य महिला आयोग, विश्वविद्यालय, अनुसंधान निकाय, गैर-सरकारी संगठन आदि से प्राप्त अनुसंधान अध्ययन, सेमिनार और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार करेगा। प्रकोष्ठ प्रशासनिक और संगठनात्मक मुद्दों, कानूनी समीक्षा को देखेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित बजट निधि के उपयोग पर निगरानी रखेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग का बेहतर कार्य

राष्ट्रीय महिला अयोग एसिड हमले के एक पीड़ित को 3 लाख रुपये प्रदान करने की मंजूरी देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री पृथ्वीराज चव्हाण और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के निर्णय की प्रशंसा करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने इस मामले में विशेष रुचि दिखाई और राज्य सरकार से धन की मंजूरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महत्वपूर्ण निर्णय

- नई दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने एक युवक को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और अपहरण करने के आरोप से मुक्त कर दिया और उनके विवाह को वैध बताया और कहा कि '18 वर्ष से कम आयु की लड़की अथवा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के साथ किया गया बाल विवाह अमान्य विवाह नहीं होगा परन्तु मान्य हो सकता है, जो तब मान्य होगा जब ऐसे युवक या युवती द्वारा ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया हो।' न्यायाधीश ने आगे कहा कि लड़की के पास बिहार में आरोपी के दोस्त के घर से, जहां दोनों पति और पत्नी के तौर पर रह रहे थे, बचकर निकलने के अनेक अवसर थे परन्तु वह नहीं गई।
- मुम्बई उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच ने निर्णय दिया कि भारतीय मां-बाप को बाल दत्तक ग्रहण के मामले में एनआरआई, ओसीआई (ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया) और विदेशी नागरिकों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए। बेंच ने कहा 'केवल यदि कोई बच्चा भारतीय मां-बाप द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और दत्तक ग्रहण एजेंसियां अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि बच्चे की भारतीय मां-बाप द्वारा दत्तक ग्रहण के रूप में लेने की कोई संभावना नहीं है तो तब इसे विदेशी मां-बाप को दिखाया जाना चाहिए।'
- एक दिल्ली कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी महिला का उसके पति की संपत्ति पर अधिकार हो सकता है परन्तु वह अपने सास-ससुर की संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा 'किसी भी परिस्थिति में वह अपने पति के मां-बाप के पास जबरदस्ती नहीं रह सकती है अथवा उसकी सहमति और इच्छा के विरुद्ध उनके घर में रहने के हक का दावा नहीं कर सकती है।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।